अपील

जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिन्दी हमारी राजभाषा है । हिन्दी को 14 सितम्बर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था । तभी से प्रति वर्ष 14 सितंबर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बना और तदुपरान्त कई अधिनियम, नियम, विनियम बने और हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

संवैधानिक प्रावधानों में सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के नाते अंग्रेजी की अहमियत है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजभाषा के रूप में हिन्दी का अपना विशिष्ट महत्व है । यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है । ऐसे में जाहिर है कि हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास को बढ़ावा देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है । हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने का संकल्प लेना होगा ।

हिन्दी में काम करना बहुत सरल है । इस दिशा में हमारे अधिकारीगण स्वयं सरकारी काम काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके अधीनस्थ कर्मचारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं । मुझे खुशी है कि हमारे कार्यालय में कर्मचारियों ने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करके उत्साहवर्धक पहल की है, परन्तु इस दिशा में अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । आज हमारा मूल हिन्दी पत्राचार 62 प्रतिशत के आस पास है जिसे बढ़ाकर शत प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

अन्त में, मैं आप सबको हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़े के उपलक्ष्य में अपनी हार्दिक शुभ कामनाएं पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप सभी इस पखवाड़े में तथा उसके पश्चात भी निरंतर अपना कार्य यथा संभव अधिकाधिक हिन्दी में करें और इस समारोह को सफल बनायें ।

धन्यवाद ।

(राकेश कुमार)

भूमि तथा विकास अधिकारी